कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 1011 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 01/09/ ~~अगस्त~~, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0,
डीडीहाट।

विषय :–ऑनलाइन प्रस्ताव 1.4897/2021 खतेड़ा से सीणी मोटरमार्ग की (लम्बाई 3.5 कि0मी0) के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त परियोजना हेतु गठित प्रस्ताव के अवलोकन उपरान्त निम्न कमियॉ पायी गयी हैः–

1. प्रस्ताव में संलग्न परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव की लं0 5 कि0मी0 एवं दो सेतु हेतु अनुमोदित लागत 28.61 लाख स्वीकृत किया गया है, जबकि आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग 3.5 कि0मी0 लं0 तक का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं एव जिसमें परियोजना की लागत भी 28.61 लाख दिखायी गयी है,यदि परियोजना का निर्माण कार्य 3.5 कि0मी0 लं0 तक किया जाना है, तो परियोजना की लागत अनुमानित 28.61 लाख से कम होगी । अतः परियोजना में होने वाली व्यय की स्थिति स्पष्ट करें।
2. उक्त प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली वन भूमि की श्रेणी राज्य भूमि की दिखायी गयी है जबकि प्रस्ताव में संलग्न (प्रारूप 2.15A) के अनुसार प्रभावित वृक्षों की संख्या 57 एवं प्रभावित वन भूमि की श्रेणी वन पंचायत खतेडां दिखायी गयी है, एवं प्रारूप (2.15B) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन /(प्रारूप 2.15 c) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण (वैकल्पिक समरेखण)/(प्रारूप 2.15 F) वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण /प्रारूप (2.15E) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश /(प्रारूप 2.16) वन संरक्षक द्वारा दी जाने वाली वृक्षों की पातन का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्रों में भी आपके द्वारा प्रभावित होने वाली वन भूमि की श्रेणी वन पंचायत खतेडा दर्शायी गयी है, उक्त स्थिति में आपको यह निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त समस्त प्रारूपों को संशोधित कर प्रभावित होने वाली भूमि की वास्तविक श्रेणी अंकित करते हुये संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार परियोजना निर्माण में कितना मलवा उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित मलवे के सापेक्ष मोटरमार्ग निर्माण में कितना मलवा प्रयोग में लाया जा रहा है ,एव कितना अवशेष रह रहा है आदि का विवरण नहीं दिया गया है ,एवं अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु चिंहित डम्पिंग यार्ड की नपत का विवरण भी नहीं दिया गया है।
4. विषयांकित मोटरमार्ग के चयनित /वैकल्पिक समरेखण को दर्शित करने हेतु तैयार किये गये के0 एम0 एल0 फाइल के अवलोकन उपरान्त यह संज्ञान में आया है कि चयनित समरेखण का अंतिम बिन्दु लाभान्वित होने वाले गॉव सीणी से लगभग 100 मी0 पहले ही समाप्त हो जाता है ,जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गॉव को अंतिम बिन्दु से आगे कैसा जोड़ा जायेगा ।

5. इसके अतिरिक्त के0 एम0 एल0 फाइल में लाभान्वित गॉव सीणी पूर्व से ही निर्मित एक अन्य मोटर मार्ग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। इस स्थिति में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आपके द्वारा गठित किये जा रहे उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का क्या औचित्य क्या है।
6. उपरोक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तैयार की गयी के0 एम0 एल0 फाइल का अवलोकन करने उपरान्त यह प्रतीत हो रहा है, कि आपके द्वारा चयनित समरेखण में प्रभावित होने वाले वन भूमि में ही क्षतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र भी प्रस्तावित किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपनी स्पष्ट आख्या देते हुए उपरोक्त प्रस्ताव को संशोधित करते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

पत्रांक / . दिनांकित
प्रतिलिपि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के संज्ञानार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।